रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 461] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 1975/कार्तिक 20, 1897
No. 461] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 1975/KARTIKA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

ORDER

New Delhi, the 11th November 1975

S.O. 648(E).—In pursuance of sub-paragraph (i) of Paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970, the Central Government hereby makes the following further amendments to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 1873, dated the 18th May, 1970, namely :—

In the Table annexed to the said Order, against Serial No. 3 relating to "Vitamin C", in Column (2), for the letters, figures and word "Rs. 90.70 per kg", the letters, figures and word "Rs. 91.56 per kg" shall be substituted.

[No. 8(1)/75-Ch.I]
N. K. SREENIVASAN, Jt. Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का० आ० 648(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधिद्रव्य (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 4 के उपपैरा (1) के अनुसरण में भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1873 तारीख 18 मई, 1970 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के उपाबद्ध सारणी में, विटामिन-सी से सम्बद्ध सं० 3 के सामने स्तम्भ (2) ; "90–70 रुपये प्रति किलो" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "91–56 रु० प्रति किलो" अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे ।

[सं० 8(1)/75-रसा० 1]

एन० के० श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975